महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या :678 /आठ–1–23–01बजट/2021टी0सी0 2

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **जिलाधिकारी,**
गोरखपुर/वाराणसी,
उ0प्र0।
3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0,
लखनऊ।
6. **प्रबन्ध निदेशक,**
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0,
नई दिल्ली।
7. **सदस्य सचिव,**
स्मारक समिति,
उ0प्र0, लखनऊ।
8. **सचिव,**
उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।
9. **रजिस्ट्रार,**
उ0प्र0 भू–सम्पदा अपीलीय अभिकरण,
लखनऊ।
10. **सचिव,**
सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी,
विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
11. **सचिव,**
सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी
(संस्कृति विद्यालय), लखनऊ।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2023**

विषय: माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 27 जुलाई, 2023 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 31.07.2023 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 27.07.2023 के कार्यवृत्त संख्या–22/स.बै./34–लो.शि.–4/2023, दिनांक 31.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें कतिपय दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यवृत्त में उल्लिखित अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना से शासन को **एक सप्ताह** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
17.8.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यवृत्त में अपने से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से **तत्काल** आवास अनुभाग–1 को अवगत करायें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

E:\M Go 2023

No. 25860 /MS/CM/2023

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या 22/स.बै./34-लो.शि.-4/2023 दिनांक 31 जुलाई, 2023

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 27 जुलाई, 2023 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश

- आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विगत 06 वर्ष में उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय नगरीय अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आर.आर.टी.एस. और मेट्रो जैसी अत्याधुनिक नगरीय परिवहन सुविधाओं का विकास, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का विकास, कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्था के साथ शहरी विकास के सभी क्षेत्रों में तकनीक की मदद से आम शहरवासियों को 'ईज ऑफ लिविंग' का अनुभव हो रहा है।
- आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप यदि प्रदेश को $ 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो शहरीकरण को बढ़ाना होगा। आवास विभाग और विकास प्राधिकरणों की भूमिका इसमें अत्यधिक अहम है। निवेश, रोजगार और नवाचार के लिए तकनीक की मदद से विकास प्राधिकरणों को स्वतः स्फूर्त से आगे बढ़ना होगा तथा नगरों का नियोजन आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जाना चाहिए।
- सभी विकास प्राधिकरणों के मास्टर प्लान शीघ्र तैयार किए जाएं ताकि शहरों का नियोजित विकास हो।
- प्रधिकरणों और नगरीय निकायों में भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरैन्स की नीति के साथ कठोरतम कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जों की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब के घर पर दबंग का कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- भू-माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई से जनता में सकारात्मक संदेश गया है। लोगों के मन में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास का संचार हुआ है। विगत दिनों प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लूकरगंज में भूमाफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 78 परिवारों को उनके घर की चाभियां सौंपी गई हैं। यह क्रम सतत जारी रखा जाए; इसी प्रकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-माफिया से मुक्त करायी गयी लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि पर भी गरीबों के लिए आवास प्राथमिकता पर निर्मित किए जाएं।
- सभी प्राधिकरण तथा स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां व रिहायशी कॉलोनी न बसने पाए; हर कॉलोनी में सभी अवश्यक सुविधाएं हों।
- समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अन्त्योदय के भाव के साथ हमें मलिन बस्तियों के पुनरोद्धार के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की

(रामधारी वर्मा) निजी सचिव, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

(दुर्गा शंकर मिश्र) मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन

(नितिन रमेश गोकर्ण) अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

(सुनील कुमार सिंह) विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन

आवश्यकता है। सभी विकास प्राधिकरण बहुमंजिला आवसीय परिसर तैयार करें तथा मलिन बस्तियों में निवासरत लोगों को शिफ्ट करने के लिए योजना बनाकर कार्यवाही करें।

- आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में धर्मनगरी अयोध्या का विकास त्रेतायुगीन वैभव के अनुरूप किया जा रहा है। अयोध्या में पुरातन संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है।
- विगत 06 वर्षों में प्रदेश में शहरीकरण त्वरित गति से बढ़ा है; जन अपेक्षाओं के अनुरूप बड़ी संख्या में नए नगरीय निकायों का सृजन किया गया है तथा अनेक नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किया गया है। संतुलित, समावेशी और सुस्थिर विकास के दृष्टिगत विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में नियोजित विकास हेतु लोकल प्लानिंग अथॉरिटी का गठन किए जाने पर विचार किया जाए। इसी प्रकार, प्रदेश स्तर पर टाउन प्लानिंग निदेशालय का गठन किए जाने पर विचार किया जाए।
- सभी विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपनी भूमि का लैण्ड ऑडिट कराएं तथा लैण्ड रिकार्ड्स को डिजिटाइज़ किया जाए। लैण्ड रिकार्ड्स का स्थलीय सत्यापन भी कराया जाए।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भाँति विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की भूमि को विकास प्राधिकरणों को दुर्बल व अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण अथवा जनसुविधाओं के विकास हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने पर विचार किया जाए।
- राजधानी लखनऊ आज मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में अत्याधुनिक नगरीय सुविधाओं से युक्त हो रही है तथा दूरदराज के क्षेत्रों से लोग यहां आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र' का गठन शीघ्र किया जाए।
- विगत 06 वर्ष में सतत प्रयास से प्रदेश में विश्वस्तरीय आधुनिक नगरीय परिवहन सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। आज लखनऊ, कानपुर, नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद में मैट्रो सेवा संचालित हैं। दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस, आगरा और कानपुर मैट्रो की निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा लखनऊ के दूसरे कॉरिडॉर का शीघ्रता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्यान्वयन किया जाए।
- काशी में कैण्ट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर तक बनने वाला रोप-वे आम जन को एक अनूठी नगरीय परिवहन व्यवस्था से परिचय कराएगा। इस परियोजना को शीर्ष प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए।
- हर विकास प्राधिकरण में सुयोग्य टाउन प्लानरों की तैनाती की जाए।
- जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट हैं, वहां किसी भी दशा में नई कॉलोनी न बस पाएं। महायोजनाओं में समुचित ग्रीन बैल्ट आवश्यक रूप से हों।

- नई कॉलोनियों के विकास के साथ वहां सड़के, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो।
- आज उत्तर प्रदेश बड़े राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। प्रदेश के हर शहर को ऐसे अवसर मिलें, इसके लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास आवश्यक है। सभी मण्डलीय मुख्यालयों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वैन्शन सैन्टर विकसित करने पर विचार किया जाए।
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने में आवास सेक्टर की बड़ी भूमिका है। हमें आगामी 5 वर्षों में 100 नई टाउनशिप्स विकसित करने का लक्ष्य के अनुसार कार्य करना होगा। इन टाउनशिप के विकास के लिए ग्लोबल इन्वैस्टर्स समिट में विभिन्न विकासकर्ताओं ने प्रस्ताव दिए हैं, जिन्हें समयबद्ध रूप से क्रियाशील किया जाए।
- भवन का मानचित्र पास कराने, शुल्क जमा करने जैसी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए आम आदमी को परेशान न होना पड़े। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। इसमें तकनीक की मदद ली जाए। मानचित्र निस्तारण के लिए हर पखवारे तय दिवस को 'मानचित्र समाधान दिवस का नियमित आयोजन किया जाए तथा इस तिथि का अनिवार्य रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए।

(एस. पी. गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय

संख्या :22/स.बै./34-लो.शि.-4/2023
लखनऊ दिनांक : 31 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, संस्कृति, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(एस.पी.गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री